न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 77/2022 तारीख रजू:– 06.05.2022

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

रूपराम पुत्र रामफल जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायल

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र तेजराम जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली———————————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट सायल

2. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट गैरसायल सं.1

निर्णय दिनांक :– 12-8-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् विभाजन कृषि आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरूद्ध माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है,जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 124 रकबा 0.54 है0, 125 रकबा 0.04 है0, 330 रकबा 0.70 है0, 331/717 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.41 है0, 339 रकबा 0.02 है0, 340 रकबा 0.15 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.01 है0 ग्राम बहादुरपर तहसील हिण्डौन में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसमें सायल व गैरसायल सं01 संयुक्त रूप से 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र पक्षकारान मुकदमा सायल व गैरसायल सं01 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है कि जिस पर पक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारे के हिसाब से काबिज होकर बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकारान ने कृषि उन्नति के लिए भूमि के अपने अपने हिस्से को ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हिण्डौन में रहन रखकर ऋण भी ले रखा है। प्रथम दृष्टया केस सायल बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र में से कुछ भूमि हिण्डौन– बयाना रोड के सहारे स्थित है जो बेशकमीती भूमि है। गैरसायल नं01 चतुर चालाक , बेईमान व लालची किस्म का व्यक्ति है। जिसके मन में अब बेईमानी व फितूर उत्पन्न हो गया है एवं वह उक्त आराजीयात से सायल को विधि विरूद्ध बेदखल कर अपना अवैध कब्जा करने की फिराक में है एवं भूमि को खुर्द बुर्द कर कृषि से अकृषि कार्य में परिवर्तित करने की कुचेष्टा में है एवं बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही भूमि का वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के रूप में उपयोग में लेना चाहता है, जिसका उसे कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बाका कल दिनांक 04.05.2022 को समय सुबह 8 बजे का है कि गैरसायल नं01 अपने साथ कुछ मजदूरों व जे.सी.बी. मशीन को लेकर आराजीयात वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र में से भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 0.41 है0 पर नींव खुदाई का कार्य करवाने लगा एवं जेसीबी मशीन से सायल की पानी की पाईपलाईन का जगह जगह से तोड दिया। सायल को पता चलने पर सायल ने गैरसायल सं01 से मना किया तो गैरसायल सं01 ने सायल को स्पष्ट धमकी दी कि तेरा इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है, मैं इस भूमि पर जबरन कब्जा करूंगा, तुझे भूमि में से कोई हिस्सा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दूंगा। सायल ने गैरसायल सं01 से कहा कि उक्त आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। तुम तहसील में चलकर विधिवत बंटवारा करवा लो। गैरसायल नं01 ने कहा कि मैं इस भूमि को बिना विधिवत बंटवारा कराये एवं बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही वाणिज्यक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में लूंगा, मैं कोई बंटवारा नहीं कराउंगा, बल्कि तुझे इन भूमियों से बेदखल कर अपना अवैध कब्जा करूंगा, तुझे कोई हिस्सा नहीं दूगा, तुझसे बने सो कर ले। सायल ने गैरसायल सं01 को काफी समझाया एवं गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी समझवाया, लेकिन गैरसायल नं01 अजखुद मानने को तैयार नहीं है। अगर गैरसायल नं01 अपनी उक्त बेजा कार्यवाही में सफल हो गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति पहुॅचेगी कि जिसकी क्षतिपूर्ति होना सम्भव नहीं हो सकेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यकीय हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आवेगा जब तक कि उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया जावेगा। पाबन्द न करने की सूरत में सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य से सम्भव नहीं है, जबकि गैरसायल सं01 को पाबन्द किये जाने से उन्हें कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायल के पक्ष में प्रथमदृष्या केस, सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित है। अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल नं01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैंसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजीयात खसरा नम्बर 124 रकबा 0.54 है0, 125 रकबा 0.04 है0, 334 रकबा 0.70 है0, 331/717 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.41 है0, 339 रकबा 0.02 है0, 340 रकबा 0.15 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.01 है0 ग्राम बहादुरपर तहसील हिण्डौन में सायल के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करें, भूमि को सायल को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बिना विधिवत विभाजन कराये भूमि पर कोई अवैध निर्माण नहीं करें, ना ही सायल की भूमि से बेदखल करें, भूमि को कृषि से अकृषि कार्य में परिवर्तित नहीं करें। भूमि को वेस्ट डेमेज नहीं करें। गैरसायल सं01 ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे सायल के हक, हकूकों की हकतल्फी हो। गैरसायलान वादगस्त आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 16.06.2022 को गैरसायल सं02 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गैरसायल सं01 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध दावा करना सही है, लेकिन दावे में सफलता मिलने की लेशमात्र भी गुंजाईश नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज आराजीयात कुल किता 7 कुल रकबा 2.1 है0 स्थित ग्राम बहादुरपुर तहसील हिण्डौन में सायल एवं गैरसायल सं01 की संयुक्त आराजीयात बहिस्सा 1/2,1/2 की खातेदारी होना सही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 के अनुसार मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात सायल एवं गैरसायल सं01 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, लेकिन सायल एवं गैरसायल नं01 की उक्त खाते के अलावा अन्य संयुक्त खातेदारी की आराजीयात और भी है। जिसके अनुसार सायल एवं गैरसायल नं01 की अन्य सहखातेदारी भूमि खाता संख्या 110 के खसरा नम्बर 43, 44, 53, 68 कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है0 ग्राम बहादुरपुर जिसमें सायल का 1/8 हिस्सा और सायल सं01 का 1/12 हिस्सा व इनके अलावा उक्त खाते में 14अन्य सहखातेदार भी हैं तथा खाता संख्या 17 का खसरा नम्बर 66 रकबा 3.60 है0 स्थित ग्राम बहादुरपुर जिसमें सायल का 1/72 हिस्सा व गैरसायल सं01 का 1/72 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

व उक्त खाते में 23 अन्य सहखातेदारान व इसके अलावा खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 224, 225, 343, 80, 93, 95 कुल किता 6 कुल रकबा 2.45 है0 ग्राम बहादुरपुर तहसील हिण्डौन है, जिसमें सायल का 1/4 हिस्सा व गैरसायल सं0 1 का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है इसके अलावा उक्त खाते में 6 अन्य सहखातेदार हैं। इस प्रकार उक्त खातों की भूमि सायल एवं गैरसायल सं01 की शामलाती खातेदारी व काश्तकारी की भूमि है, जिसमतें सायल के द्वारा अन्य सहखातेदारी की भूमि के बाबत् विभाजन का कोई दावा बराये बदयान्ति दायर नहीं किया है, जबकि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के अनुसार मौके पर सभी सहखातेदारों ने मनबंटनी से भूमियों को बांट रखा है, जिसमें खसरा नम्बर 124 रकबा 0.54 है0, 125 रकबा 0.04 है0, पर रूपराम तथा बलदेव व सुनील पिसरान रमनलाल का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 330 रकबा 0.70 है0, 334 रकबा 0.41 है0, पर ओमप्रकाश गैरसायल सं01, गजानन्द, खेमचन्द पि0 तेजराम का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 340 रकबा 0.15 है0, 343 रकबा 0.53 है0, 93 रकबा 0.29 है0, 92 रकबा 0.23 है0, 320 रकबा 0.80 है0, 95 रकबा 0.66 है0, तथा खसरा नम्बर 66 रकबा 3.60 है0 के 1/72 हिस्से (पांच जगह) पर सायल रूपराम तथा बलदेव व सुनील पि0 रमनलाल का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 43 रकबा 0.04 है0 पर ओमप्रकाश गैरसायल सं01, गजानन्द, खेमचन्द पि0 तेजराम का कब्जा काश्त है, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.30 है0 पर सायल रूपराम तथा बलदेव व सुनील पिसरान रमनलाल का कब्जा काश्त है, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.27 है0 पर ओमप्रकाश गैरसायल सं01, गजानन्द, खेमचन्द पि0 तेजराम तथा खसरा नम्बर 53 रकबा 1.4 है0 पर सायल एवं गैरसायल सं01 के साथ गजानन्द खेमचन्द पि0 तेजराम तथा बलदेव व सुनील पि0 रमनलाल का कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान व इनकी संयुक्त भूमि पर उक्तानुसार सायल एवं गैरसायल नं01 व अन्य सहखातेदार मुताविक बाहमी बंटवारा काबिज व दखील होकर बजमाने बुजुर्गान काश्त करते चले आ रहे हैं। इसलिए सायल का उक्त मद में यह कथन कि आराजीयात मुतदाविया पर पक्षकारान मुकदमा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बिल्कुल गलत दर्ज किया है, बल्कि उक्त मद में वर्णित हिस्से अनुसार सायल गैरसायल नं01 व अन्य सहखातेदार आराजीयात मुतदाविया व अन्य संयुक्त खातेदारी की आराजीयात पर उक्तानुसार ही काबिज व दखील हैं। सायल के द्वारा बिल्कुल गलत तथ्य दर्ज कर अनक्लीन हैण्ड से मैटेरियल तथ्यों को छिपाते हुये प्रार्थना पत्र दायर किया है, सायल का कोई प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 गलत है, अस्वीकार है। आराजीयात मुतदाविया मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की आराजीयात की कुछ भूमि कोई वेशकीमती नहीं है और ना ही गैरसायल सं01 कोई चतुर चालाक व लालची किस्म का व्यक्ति है और ना ही उसके मन में कोई बेईमानी व फितूर उत्पन्न हुआ है और ना ही वह किसी आराजीयात से सायल को बेदखल कर अवैध कब्जा करने की फिराक में है और ना ही वह भूमि को खुर्दबुर्द कर कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने की कुचेष्टा में है और ना ही वह भूमि का वाणिज्यक उपयोग करने के प्रयास में है, बल्कि वास्तविकता यह कि मुतजिका मद नं03 जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मुतदाविया के अलावा अन्य संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में विगत 50 वर्षों से पूर्व बजमाने बुजुर्गान सायल एवं गैरसायल सं01 व अन्य सहखातेदारों के मध्य मौखिक बहामी बंटवाराभूमि पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में उक्त खाते की कुछ भूमि रोड के सहारे आने व उस पर गैरसायल नं01 व उसके परिवारजन का बजमाने बुजुर्गान 50 वर्षों पूर्व से कब्जा होने के कारण उसके मन में बेईमानी आ गयी और सायल उन्हें कब्जे से बंचित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण संयुक्त खातेदारी की राजस्व खातों की भूमि का बिना तकास्मा कराये केवल मात्र प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के एक खाते की भूमि हेतु विभाजन का दावा/ प्रार्थना पत्र दायर किया है, जिससे भी उसकी बदयान्ति स्पष्ट साबित होती है और वैसी गरज से सायल के द्वारा बराये बदयान्ति केवल मात्र एक संयुक्त खाते की भूमि का दायर किया है, जो अनक्लीनहैण्ड होने से खारिज होने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि मुताविक जमाबन्दी सायल ने ओबीसी बैंक शाखा हिण्डौन को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, इसलिए प्रकरण में नोन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्श आरिज है, प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि सायल आराजीयात मुतदाविया के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से पर काबिज नहीं होने से प्रार्थना पत्र सायल कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि कानूनन खातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। इसके विपरीत वकील गैरसायल नं01 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 124 रकबा 0.54 है0, 125 रकबा 0.04 है0, 330 रकबा 0.70 है0, 331/717 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.41 है0, 339 रकबा 0.02 है0, 340 रकबा 0.15 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.01 है0 ग्राम बहादुरपर तहसील हिण्डौन की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र तेजराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 पूर्ण खाता ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हिण्डौन, रूपराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रामफल जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 पूर्ण खाता ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुताविक राजस्व रिकार्ड विवादित विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 124 रकबा 0.54 है0, 125 रकबा 0.04 है0, 330 रकबा 0.70 है0, 331/717 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.41 है0, 339 रकबा 0.02 है0, 340 रकबा 0.15 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.01 है0 ग्राम बहादुरपर तहसील हिण्डौन में सायल हिस्सा 1/2 एवं गैरसायल सं01 हिस्सा 1/2 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण उनका संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन पक्षकारों के मध्य संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायल सं01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायल सं01 के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। सायल के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायल सं01 के द्वारा सायल को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल किया जा रहा हो अथवा उनके द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा हो तथा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 334 रकबा 0.41 है0 ग्राम बहादुरपुर तहसील हिण्डौन में गैरसायल सं01 के द्वारा वाणिज्य प्रयोजनार्थ नींव खोदना या कृषि से अकृषि में परिवर्तित करना साबित नहीं होता है। बल्कि गैरसायल सं01 उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, जिसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायल का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 124 रकबा 0.54 है0, 125 रकबा 0.04 है0, 330 रकबा 0.70 है0, 331/717 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.41 है0, 339 रकबा 0.02 है0, 340 रकबा 0.15 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.01 है0 ग्राम बहादुरपर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.05.2022 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश विदड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक ....17-8-22..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली